(150)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/1374 – विरूद्व आदेश दिनांक 06–11–2017 – पारित व्दारा – आयुक्त, शहडौल संभाग,शहडौल – प्र0क0 96/2015–16 अपील

श्रीमती प्रेमवती वाई पुत्री बिहारी सिंह गौड़
निवासी सेन्ट जोसेफ इंगलिस मीडियम स्कूल
पाली हाल निवास सरवाही कला
तहसील पाली जिला उमरिया ———आवेदक

विरूद्व

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर उमरिया
2– प्रबंधक/प्राचार्य सेन्ट जोसेफ इंगलिस मीडियम स्कूल
पाली गोरईया व्दारा सबॉस्टियन चार्ज पुत्र वर्गिस
निवासी पाली जिला उमरिया , मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आलोक शर्मा)
(रिस्पा.क्र.1 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनॉक २० –०३ – 2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग,शहडौल व्दारा प्र0क0 96/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गोरई तहसील पाली स्थित भूमि सर्वे कमांक 286/1 रकबा 2.00 एकड़ = 0.809 हैक्टर आवेदक के नाम थी एंव ग्राम बन्नौदा तहसील पाली स्थित भूमि सर्वे कमांक 697/3 रकबा 1.011 हैक्टर, सर्वे कमांक 717 रकबा 0.113 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.214 हैक्टर (आगे दोनों पक्षकारों की भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी सेवास्टियन जार्ज

थे। अपीलांट एंव रिस्पांडेन्ट क–2 ने मिलकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 167 के अंतर्गत कलेक्टर जिला उमरिया को विनिमय का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 366 अ–74 / 2009–10 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 27–7–2010 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमियों का विनिमय स्वीकार किया। कलेक्टर उमरिया के अभिज्ञान में यह लाया गया कि आदेश दिनॉक 27–7–2010 से आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरण किए जाने का आदेश दिया गया , जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 एंव धारा 165 (6) के अंतर्गत शून्यवत् है इसलिये निरस्त किया जाय। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण कमांक 03 / 2014–15 पुनरावलोकन पॅजीबद्व किया तथा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर को प्रस्ताव प्रस्तुत कर पुनरावलोकन की अनुमति मांगी। तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 225–तीन / 15 विविध से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 03 / 2014–15 पुनरावलोकन पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दि. 19 फरवरी 2016 पारित किया एंव तत्का. कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 366 अ–74 / 2009–10 में पारित भूमि विनिमय आदेश दिनॉक 27–7–2010 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व श्रीमती प्रेमवती वाई पुत्री बिहारी सिंह गौड़ ने आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील क्रमांक 96 / 2015–16 प्रस्तुत की गई। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष सुनवाई के दौरान अन्य व्दारा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन देते हुये यह मांग रखी कि उक्तांकित भूमि श्रीमती प्रेमवती वाई पुत्री बिहारी सिंह गौड़ ने आपत्तिकर्ता से कपटपूर्वक अंतरण कराते हुये प्राप्त की है इसलिये उसे प्रकरण में पक्षकार बनने का अधिकार है। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्र0क0 96 / 2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–2017 से निर्णीत किया कि उपखंड अधिकारी राजस्व पाली ने उक्त अंतरण को सदभावना पूर्वक मानते हुये आपत्तिकर्ता का आवेदन निरस्त किया है। आपत्तिकर्ता की यह आपत्ति कि उक्त आदेश त्रृटिपूर्ण एंव दुर्भावनापूर्ण है इस प्रकरण की विषयवस्तु अलग होने से नहीं सुनी जा सकती है। आज नियत दिनांक को दोनों पक्षकार के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित है तथा प्रकरण कमांक 366 अ–74 / 2009–10 एंव प्रकरण कमांक

3/पुर्नविलोकन/14–15 की मांग राजस्व मण्डल व्दारा की गई। प्रकरण को राजस्व मण्डल में चुनौती दी गई ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जाती है। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को के क्रम में आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्र0क0 96/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत दिनांक को दोनों पक्षकारों अपीलार्थी एंव रिस्पा0 आयुक्त के समक्ष पैरबी हेतु उपस्थित नहीं हुये एंव जिस विषयवस्तु पर आयुक्त के समक्ष यह अपील की गई है उसी विषयवस्तु पर आयुक्त के अन्य प्रकरण में निर्णय होने के उपरांत राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में अपील/निगरानी होने से आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्र0क0 96/2015–16 में आपत्तिकर्ता व्दारा पक्षकार बनाये की मांग असम्बद्व होने से अस्वीकार की है साथ ही वरिष्ठ में (दोनों पक्षों के बीच अपील/निगरानी उसी विषयवस्तु पर प्रचलित होने से) अपील निरस्त की गई है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 6–11–2017 में हस्तक्षेप की गुजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्र0क0 96/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर